



प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 08 अक्टूबर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2026-27 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्त पोषित विभिन्न कार्यक्रमों की गतिविधियों के निरन्तर संचालन हेतु राज्य बजट के अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग-04-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य पोषित गतिविधियों से सम्बन्धित मानक मद-42-अन्य व्यय एवं मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-21फ/सं0रो0/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/2025-26/1981, दिनांक 01.06.2026 एवं पत्र संख्या-21फ/सं0रो0/2026/3699, दिनांक 28.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष, 2026-27 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्त पोषित विभिन्न कार्यक्रमों की गतिविधियों के निरन्तर संचालन हेतु राज्य बजट के अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग-04-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य पोषित गतिविधियों से सम्बन्धित मानक मद-42-अन्य व्यय एवं मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2026-27 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्त पोषित विभिन्न कार्यक्रमों की गतिविधियों के निरन्तर संचालन हेतु राज्य बजट के अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग-04-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य पोषित गतिविधियों से सम्बन्धित मानक मद-42-अन्य व्यय में रुपये 10,000.00 लाख (रुपये एक अरब मात्र) एवं मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रुपये 20,000.00 लाख (रुपये दो अरब मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रुपये 30,000.00 लाख (तीन अरब मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) आउटसोर्स कार्मिकों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग मात्र नियमसंगत रीति से रखे गये कार्मिकों को वास्तविक उपस्थिति तथा किये गये कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
- (4) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० का होगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,00,00,00,000 (रुपये एक अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखाशीर्षक 2210012000400 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य पोषित गतिविधियां मानक मद-42-अन्य व्यय (2) रुपये 2,00,00,00,000 (रुपये दो अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखाशीर्षक 2210012000400 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य पोषित गतिविधियां मानक मद-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई०-3-131/दस-2026-27, दिनांक 07 अक्टूबर, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रवि रंजन

विशेष सचिव।

संख्या-94/2026/1608(1)/001-5-6090-178-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।